



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 17 मार्च, 2021
फाल्गुन 26, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायतीराज अनुभाग-3

संख्या 655/33-3-2021-212-2021
लखनऊ, 17 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0आ0-76

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) की धारा 110 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन)
(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में, नियम 2 में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्:—

(घ) 'पूर्ववर्ती निर्वाचन' का तात्पर्य सामान्य निर्वाचन, 2015 और पश्चात्पूर्वी सामान्य निर्वाचनों से है।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 655/33-3-2021-212-2021, dated March 17, 2021 :

No. 655/ 33-3-2021-212-2021

Dated Lucknow, March 17, 2021

IN exercise of the powers under section 110 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act no. 26 of 1947) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994:-

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (RESERVATION AND ALLOTMENT OF SEATS AND OFFICES) (TWELFTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices) (Twelfth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of
rule 2

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule 2 *after* clause (c), the following clause shall be *inserted*, namely:-

(d) 'previous election' means the General Election of 2015 and the subsequent General Elections.

By Order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 798 राजपत्र—2021—(1695) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 93 सा0 पंचायतीराज—2021—(1696) 1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

798 RPH 2021 (Panchaiti Raj-3) (Niyamavali) data-4E